



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266082
CG-DL-E-11092025-266082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4003]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947

No. 4003]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2025

का.आ. 4118(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4602 तारीख 22/10/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH47 के कि.मी. 30 से कि.मी. 63 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30.10.2024 " को "दैनिक भास्कर " और "फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH47 के कि.मी. 30 से कि.मी. 63 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: देवास		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बागली					
गांव का नाम: भमोरी					
1	454	निजी	सिंचित	0.1342	संतोष पिता काशीराम 454
गांव का नाम: चापड़ा					
2	141	निजी	सिंचित	0.5036	केथोलिक डायोसीस ऑफ़ इंदोर तर्फे फादर लूकस 141
3	172/1/2	निजी	असिंचित	0.1036	गुलाब बाई पति गिरिधारीलाल 172/1/2
4	191/1	निजी	व्यपरिवर्तित	0.0106	अलताब पटेल पिता रहमत पटेल 191/1
5	191/2	निजी	व्यपरिवर्तित	0.023	मनीष पुत्र रामनरेश अग्रवाल 191/2
6	192/1	निजी	व्यपरिवर्तित	0.025	अभिषेक त्रिपाठी पुत्र राजबिहारी त्रिपाठी 192/1
7	192/2	निजी	व्यपरिवर्तित	0.0076	अय्युब पटेल पिता रहमत पटेल 192/2
8	192/3	निजी	व्यपरिवर्तित	0.0106	अलताब पटेल पिता रहमत पटेल 192/3
Total				0.8182	

[फा. सं. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2025

S.O. 4118(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4602 Dated:22/10/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH47 in the stretch of land from Km. 30 to Km. 63 in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Dainik Bhaskar*” and “Free Press” both 30.10.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH47 in the stretch of land from Km. 30 to Km. 63 in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: DEWAS		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bagli					
Village: Bhamori					
1	454	Private	Irrigated	0.1342	Santosh So Kashiram 454
Village: Chapada					
2	141	Private	Irrigated	0.5036	Ketholik Dayosees of Indore Tarfe Father Lookas 141
3	172/1/2	Private	Unirrigated	0.1036	Gulab Bai Wo Giridharilal 172/1/2
4	191/1	Private	Diverted	0.0106	Altav Patel So Rahmat Patel 191/1

5	191/2	Private	Diverted	0.023	Manish So Ramnaresh Agrawal 191/2
6	192/1	Private	Diverted	0.025	Abhishek Tripathi So Raj Bihari Tripathi 192/1
7	192/2	Private	Diverted	0.0076	Ayoob Patel So Rahmat Patel 192/2
8	192/3	Private	Diverted	0.0106	Altab Patel So Rahmat Patel 192/3
Total				0.8182	

[F. No. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director